FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत ---**उपखण्ड अधिकारी** --- मुकाम ---- **धौलपुर** ----

खेमराज ------ बनाम ---- निहाल सिंह

किस्म मुकदमां -- इजराय -- नम्बर ---- 8 ---- सन् -- 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील में जारी हुये
10.11.17	इजराय प्रार्थना पत्र बाद जांच पेश हुआ बकील डिक्रीदार उपस्थित इजराय प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। मदयूनान को तलब करते हुए मूल दावा की पत्रावली तलब की जाकर पत्रावली दिनांक 20.11.17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज.)	
20.11.17	पत्रावली पेश हुई। बकील डिक्रीदार उपस्थित। भार्थिया ईश्वरदेई की ओर से श्री श्रीगोपाल शर्मा एड० ने बकालतनामा पेश कर केवियट प्रार्थना पत्र पेश किया है जो शामिल पत्रावली है। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के पत्रांक 857 दिनांक 26.7.17 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.17 की पालना (क्रियान्वित) स्थगित की गयी है तथा मूल दावा की पत्रावली तलब की गयी है। न्यायालय RAA का स्थगन होने के कारण डिक्री की पालना नहीं करायी जा सकती अतः प्रकरण में कार्यवाही स्थगन आदेश के निर्णय तक स्थगित की जाती है। उभयपक्ष को सूचित किया गया। मूल	

PTO

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील में जारी हुये
	दावा की पत्रावली अपीलीय न्यायालय को भिजवायी जावे। पक्षकारों द्वारा स्थगन आदेश के निर्णय की प्रति पेश करने पर पत्रावली पुनः पेश हो तब तक दाखिल दफ्तर हो।	